अध्याय I

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2010–11 के दौरान बिहार सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को प्रदत्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	ब्योरे	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
1.	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	4,033.08	5,085.53	6,172.74	8,089.67	9,869.85
	• कर भिन्न राजस्व	511.28	525.59	1,153.32	1,670.42	985.53
	कुल	**4,544.36**	**5,611.12**	**7,326.06**	**9,760.09**	**10,855.38**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में हिस्सा	13,291.72	16,766.29	17,692.51	18,202.58	23,978.38
	• सहायता अनुदान	5,247.11	5,831.67	7,962.12	7,564.16	9,698.56
	कुल	**18,538.83**	**22,597.96**	**25,654.63**	**25,766.74**	**33,676.94**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ[1] (1 एवं 2)**	**23,083.19**	**28,209.08**	**32,980.69**	**35,526.83**	44,532.32
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**20**	**20**	**22**	**27**	24

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य सरकार ने विगत वर्ष के 27 प्रतिशत के विरुद्ध कुल राजस्व प्राप्तियों का 24 प्रतिशत राजस्व (₹ 10,855.38 करोड़) सृजित किया। वर्ष 2010–11 के दौरान प्राप्तियों का शेष 76 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था। वर्ष 2009–10 के ₹ 9,760.09 करोड़ की अपेक्षा वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 10,855.38 करोड़) में 11.22 प्रतिशत की समग्र वृद्धि मुख्य रुप से कर राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि एवं कर भिन्न राजस्व में 41 प्रतिशत की ह्रास के कारण हुई, जैसाकि कंडिका 1.1.2 एवं 1.1.3 में वर्णित है।

---

[1] पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2010–11 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या–11– लघु शीर्ष राजस्व की विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष – 0020 निगम कर, 0021 – निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028 – आय और व्यय पर अन्य कर, 0032 – सम्पत्ति पर कर, 0037 – सीमा शुल्क, 0038 – संघीय उत्पाद शुल्क, 0044 – सेवा पर कर एवं 0045 – वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क – लघु शीर्ष 901 – निबल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा के अंतर्गत आँकड़े जो वित्त लेखा में क – कर राजस्व में दिखलाए गए हैं, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखलाया गया है।

1.1.2 निम्न तालिका वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि में सृजित कर राजस्व के विवरण को दर्शाता है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	वर्ष 2009–10 की अपेक्षा 2010–11 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्द्धित कर	2,081.49	2,534.80	3,016.47	3,839.29	4,557.18	(+) 18.70
2.	राज्य उत्पाद	381.93	525.42	679.14	1,081.68	1,523.35	(+) 40.83
3.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस						
	मुद्रांक न्यायिक	455.02	654.15	716.19	53.81	59.05	(+) 10.10
	मुद्रांक न्यायिकेत्तर				708.62	774.20	
	निबंधन फीस				235.47	265.43	
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	62.84	64.05	67.62	66.63	65.22	(–) 2.11
5.	वाहनों पर कर	181.38	273.21	297.74	345.13	455.43	(+) 31.96
6.	माल एवं यात्रियों पर कर–स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	783.01	937.87	1,279.41	1,613.16	2,006.32	(+) 24.37
7.	भू–राजस्व	74.65	82.10	101.74	123.96	139.02	(+) 12.15
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	12.76	13.93	14.43	21.92	24.65	(+) 12.45
कुल		4,033.08	5,085.53	6,172.74	8,089.67	9,869.85	(+) 22.00

संबंधित विभागों ने वर्ष 2009–10 की तुलना में 2010–11 के दौरान कर राजस्व के संग्रहण में भिन्नता का निम्न कारण प्रतिवेदित किया:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर: यह वृद्धि (18.70 प्रतिशत) राज्य की मुद्रास्फिती, जनसंख्या एवं राज्य का आर्थिक विकास तथा सरकार द्वारा भारी मात्रा में किये गये व्यय के कारण हुई।

मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस : यह वृद्धि (10.10 प्रतिशत) राज्य के शहरी क्षेत्रों के न्यूनतम मूल्य पंजी को 1 अप्रैल 2010 से पुनरीक्षित किए जाने के कारण हुई।

माल एवं यात्रियों पर कर–स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर : यह वृद्धि (24.37 प्रतिशत) राज्य की मुद्रास्फिती, जनसंख्या एवं राज्य का आर्थिक विकास तथा सरकार द्वारा भारी मात्रा में किये गये व्यय के कारण हुई।

माँगे जाने (जून एवं अक्तूबर 2011के बीच) के बावजूद, अन्य विभागों ने भिन्नता का कारण सूचित नहीं किया (अक्तूबर 2011)।

1.1.3 निम्न तालिका वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि में सृजित कर भिन्न राजस्व के विवरण को दर्शाता है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	वर्ष 2009–10 की अपेक्षा 2010–11 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	175.99	170.71	304.57	353.27	237.96	(–) 32.64
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	6.35	6.64	6.15	6.78	7.64	(+) 12.68
3.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	127.65	178.66	245.00	319.93	405.59	(+) 26.77
4.	विविध सामान्य सेवाएँ	20.88	3.02	385.82	770.28	0.34	(–) 99.96
5.	मध्यम सिंचाई	10.95	9.67	10.64	14.80	15.45	(+) 4.39
6.	चिकित्सा एवं लोक–स्वास्थ्य	17.52	21.07	17.25	14.08	15.33	(+) 8.88
7.	मत्स्य पालन	6.09	6.57	6.87	7.87	7.28	(–) 7.50
8.	पथ एवं पुल	16.75	17.95	26.40	30.02	39.60	(+) 31.91
9.	पुलिस	10.53	23.47	9.44	11.89	11.85	(–) 0.34
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	20.28	12.00	8.09	9.42	19.98	(+) 112.10
11.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	98.29	75.83	133.09	132.08	224.51	(+) 69.98
कुल		511.28	525.59	1,153.32	1,670.42	985.53	(–) 41.00

वर्ष 2010–11 के बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार, कर भिन्न राजस्व के संग्रहण में भिन्नता का कारण नीचे दिया गया है:

ब्याज प्राप्तियाँ: यह कमी (32.64 प्रतिशत) मुख्य रुप से विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से प्राप्ति कम होने के कारण हुई।

विविध सामान्य सेवाएँ: यह कमी (99.96 प्रतिशत) मुख्य रुप से लघु शीर्ष "105– भूमि एवं सम्पत्ति की बिक्री" (₹ 9.73 लाख) तथा "800– अन्य प्राप्तियाँ" (₹ 769.85 करोड़) के तहत प्राप्ति कम होने के कारण हुई। वर्ष 2009–10 के दौरान लघु शीर्ष "800– अन्य प्राप्तियाँ" के तहत प्राप्ति (₹ 770.06 करोड़) में वृद्धि मुख्य रुप से केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किये गये ₹ 769.87 करोड़ के कर्ज माफी के कारण हुई थी। वर्ष 2010–11 के दौरान इस प्रकार की कोई भी कर्ज माफी की राशि प्राप्त नहीं हुई थी।

माँगे जाने (जून एवं अक्तूबर 2011 के बीच) के बावजूद, अन्य विभागों ने भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (अक्तूबर 2011)।

1.2 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

1.2.1 उत्तरदायित्वों को लागू करने एवं राज्य सरकार के हितों को सुरक्षित रखने में वरीय पदाधिकारियों की विफलता

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, लेन–देन की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों की विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संधारण की जाँच हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। उन निरीक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के रुप में, जिनमें निरीक्षण के दौरान पाई गई तथा स्थल पर समाधानित नहीं की जा सकी अनियमितताओं को सम्मिलित किया जाता है, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रतियाँ भेजी जाती है। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित

अवलोकनों का अनुपालन तथा त्रुटियों और चूकों का सुधार कर निरीक्षण प्रतिवेदन भेजे जाने के एक महीने के अन्दर प्रधान महालेखाकार को प्रारंभिक उत्तर के माध्यम से अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाना अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ विभागों के अध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

दिसम्बर 2010 तक निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से स्पष्ट था कि जून 2011 के अंत तक 4,259 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 10,404.30 करोड़ से सन्निहित 22,364 कंडिकाएँ लंबित थीं, जैसा कि विगत दो वर्षों के तत्सबंधी आँकड़ों के साथ नीचे दी गई है:

	जून 2009	जून 2010	जून 2011
बकाए निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,855	4,150	4,259
लंबित कंडिकाओं की संख्या	20,552	21,968	22,364
सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	5,009.24	7,876.02	10,404.30

30 जून 2011 तक बकाए निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की विभागवार विवरणी तथा सन्निहित राशि निम्न सारणी में दी गई है:

क्रम सं0	विभाग	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1.	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्द्धित कर	550	5,444	4,762.25
		प्रवेश कर	143	322	74.06
		विद्युत शुल्क	21	25	16.74
		मनोरंजन कर, विलासिता कर आदि	13	21	0.61
2.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद)	राज्य उत्पाद	383	1,910	858.73
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू–राजस्व	1,518	6,532	959.70
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	456	3,195	1,160.04
5.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन)	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	427	1,177	191.68
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	316	2,026	977.39
7.	पर्यावरण एवं वन	वनिकी एवं वन्य जीव	143	558	596.26
8.	जल संसाधन	जल दर	233	1,020	763.48
9.	ईख उद्योग	ईख	56	134	43.36
कुल			4,259	22,364	10,404.30

यहाँ तक कि दिसम्बर 2010 तक निर्गत किए गए 1,671 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर, जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने के एक माह के अन्दर कार्यालय अध्यक्षों से प्राप्त होना अपेक्षित था, प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण

निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह वृहद् विलम्बन, यह संसूचित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में प्रधान महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि लेखापरीक्षा अवलोकनों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने हेतु सरकार एक प्रभावकारी प्रक्रिया की स्थापना के लिए उपयुक्त कदम उठाये। निर्धारित समय सूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर भेजने तथा समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया माँग वसूल करने में विफल रहे कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु भी विचार कर सकती है।

1.2.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों और निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के निष्पादन की प्रगति को त्वरित और उनका अनुश्रवण करने के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों (विभिन्न अवधियों के दौरान) का गठन किया। वर्ष 2010–11 में लेखापरीक्षा समितियों की बैठकें एवं निष्पादित कंडिकाएँ निम्न तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	संपन्न बैठकों की सं0	निष्पादित कंडिकाओं की सं0	राशि
वाणिज्यकर	1	118	7.01
भू–राजस्व	2	117	6.35
राज्य उत्पाद	2	64	14.04
कुल	**5**	**299**	**27.40**

विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के माध्यम से वाणिज्यकर से संबंधित ₹ 4,853.66 करोड़ के प्रभाव वाले 5,812 लंबित कंडिकाओं के विरुद्ध मात्र ₹ 7.01 करोड़ (0.14 प्रतिशत) से सन्निहित 118 कंडिकाएँ ही निष्पादित किए जा सके। इसके अतिरिक्त, भू–राजस्व के 6,532 लंबित कंडिकाओं में सन्निहित राशि ₹ 959.70 करोड़ के विरुद्ध ₹ 6.35 करोड़ (0.66 प्रतिशत) से सन्निहित मात्र 117 कंडिकाएँ, जबकि राज्य उत्पाद के 1,910 लंबित कंडिकाओं में सन्निहित राशि ₹ 858.73 करोड़ के विरुद्ध ₹ 14.04 करोड़ (1.63 प्रतिशत) से सन्निहित मात्र 64 कंडिकाएँ ही विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की माध्यम से निष्पादित किए जा सके।

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के निष्पादन हेतु सरकार नियमित अंतराल पर विभागीय लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों का आयोजन हेतु उपयुक्त कदम उठा सकती है।

1.2.3 संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना

विभिन्न कर/राजस्व प्राप्ति कार्यालयों का स्थानीय लेखापरीक्षा कार्यक्रम पर्याप्त अग्रिम रुप से तैयार किया जाता है और साधारणतया लेखापरीक्षा प्रारम्भ करने के एक माह पूर्व ही संबंधित विभाग को सूचनाऐं भेजी जाती है, जिससे कि लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु संबंधित अभिलेख तैयार रख सकें।

वर्ष 2010–11 के दौरान छः राजस्व शीर्षों से संबंधित 56 कार्यालयों के 187 कर निर्धारण अभिलेख/अन्य अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इन सभी मामलों में सन्निहित राजस्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इन मामलों का वर्षवार विवरणी **परिशिष्ट–I** में दिया गया है।

1.2.4 प्रारुप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

मुख्य सचिव, बिहार सरकार ने सभी विभागों को निर्देश निर्गत (अगस्त 1967) किया था कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेशित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारुप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के अन्दर भेजें। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम के कंडिका 207 (1) के अनुसार प्रधान महालेखाकार प्रारुप कंडिकाओं को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा अवलोकनों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए छः सप्ताह के भीतर उनका उत्तर भेजने हेतु अनुरोध करते हुए अग्रसारित करते हैं। विभागों से उत्तर की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कंडिका के अंत में निरपवाद रुप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 33 प्रारुप कंडिकाओं तथा दो समीक्षाओं को संबंधित विभागों के सचिवों को मई और सितम्बर 2011 के बीच अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किया गया था।

वाणिज्यकर विभाग के आयुक्त–सह–सचिव ने दो प्रारुप कंडिकाओं का आंशिक उत्तर भेजा। शेष कंडिकाओं में सरकार का उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.2.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

सरकारी विभागों को लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर स्वतः स्पष्ट कार्यवाई टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट) तैयार करना है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानमंडल के पटल पर रखे जाने के तीन महीने के अन्दर इसे लोक लेखा समिति को भेजी जानी है।

हमने स्थिति की समीक्षा की एवं पाया कि अगस्त 2011 तक 11 विभागों द्वारा वर्ष 1990–91 एवं 2009–10 के बीच के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 84 कंडिकाओं के संबंध में स्वतः स्पष्ट कार्यवाई टिप्पणी पुनरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। विलम्ब की अवधि 10 माह से लेकर 17 वर्षों से अधिक तक थी, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

क्रम सं0	विभाग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की तिथियाँ	विभागीय टिप्पणियों के भेजे जाने की अंतिम तिथि	कंडिकाओं की संख्या जो विभागीय टिप्पणियों के लिए बकाये थे	विलम्ब (माह में)
1.	वित्त	2004–05	मार्च 2006	जून 2006	01	62
2.	वाणिज्यकर	2000–01, 2005–06 से 2009–10	दिसम्बर 2003, जुलाई 2007 से जुलाई 2011	मार्च 2004, अक्तूबर 2007 से अक्तूबर 2011	25	10 से 89
3.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद)	1990–91, 1995–96 से 1997–98, 1999– 2000, 2006–07, 2009–10	मार्च 1994, मार्च 1997 से अगस्त 1999, मार्च 2002, मार्च 2008, जुलाई 2011	जून 1994, जून 1997 से नवम्बर 1999, जून 2002, जून 2008, अक्तूबर 2011	10	38 से 206
4.	राजस्व एवं भूमि सुधार	2004–05 से 2005–06, 2008–09	मार्च 2006 से जुलाई 2007, जुलाई 2010 से जुलाई 2011	जून 2006 से अक्तूबर 2007, अक्तूबर 2010 से अक्तूबर 2011	04	10 से 62

5.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन)	2000–01, 2002–03 से 2003–04, 2008–09 से 2009–10	दिसम्बर 2003, दिसम्बर 2004 से दिसम्बर 2005, जुलाई 2010 से जुलाई 2011	मार्च 2004, मार्च 2005 से मार्च 2006, अक्तूबर 2010 से अक्तूबर 2011	09	10 से 89
6.	परिवहन	2000–01, 2008–09 से 2009–10	दिसम्बर 2003, जुलाई 2010 से जुलाई 2011	मार्च 2004, अक्तूबर 2010 से अक्तूबर 2011	07	10 से 89
7.	खान एवं भूतत्व	2002–03 से 2003–04, 2005–06 से 2006–07, 2009–10	दिसम्बर 2004 से दिसम्बर 2005, जुलाई 2007, मार्च 2008, जुलाई 2011	मार्च 2005 से मार्च 2006, अक्तूबर 2007 से जून 2008, अक्तूबर 2011	10	38 से 77
8.	पर्यावरण एवं वन	2003–04, 2005–06 से 2007–08	दिसम्बर 2005, जुलाई 2007 से जुलाई 2009	मार्च 2006, अक्तूबर 2007 से अक्तूबर 2009	07	22 से 65
9.	जल संसाधन	1995–96, 1997–98, 2005–06 से 2009–10	मार्च 1997, अगस्त 1999, जुलाई 2007 से जुलाई 2011	जून 1997, नवम्बर 1999, अक्तूबर 2007 से अक्तूबर 2011	08	10 से 170
10.	शहरी विकास एवं आवास	1997–98	अगस्त 1999	नवम्बर 1999	1	141
11.	कृषि	2005–06	जुलाई 2007	अक्तूबर 2007	2	46
कुल					84	

स्वतः स्पष्ट कार्यवाई टिप्पणी को प्रस्तुत करने में विलम्ब इस बात का द्योतक है कि कार्यालयों/विभागों के अध्यक्षों ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों, जिसमें अवसूलित राजस्व की काफी राशि सन्निहित थी, पर त्वरित कार्रवाई नहीं की, इनमें से कुछ की वसूली अब कालातीत हो सकती है।

1.2.6 पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2005–06 एवं 2009–10 के दौरान विभागों/सरकार ने ₹ 1,292.90 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से 31 मार्च 2011 तक मात्र ₹ 3.62 करोड़ की ही वसूली हुई थी जैसाकि नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि
2005–06	304.68	8.07	1.26
2006–07	206.42	61.40	0.82
2007–08	523.80	417.49	1.48
2008–09	838.92	709.78	0.02
2009–10	977.82	96.16	0.04
कुल	**2,851.64**	**1,292.90**	**3.62**

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि स्वीकृत मामलों में वसूली (0.28 प्रतिशत), स्वीकृत राशि की तुलना में काफी कम थी।

सरकार को चाहिए कि कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की शीघ्र वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाए।

1.3 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों से संबंधित क्रिया–विधि का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों के निराकरण से संबंधित क्रिया–विधि के विश्लेषण के क्रम में **परिवहन विभाग** से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर सरकार/विभागों द्वारा की गई कार्रवाईयों का मूल्यांकन किया गया। विगत दस वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में पाए गए मामलों के साथ विभाग की क्रिया–विधि एवं वर्ष 2000–01 से 2009–10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित मामलों की समीक्षा अनुवर्ती कंडिकाएँ 1.3.1 एवं 1.3.2 में उल्लिखित है:

1.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

अगस्त 2011 तक विगत दस वर्षों के दौरान निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में समाहित कंडिकाओं की सारांशित स्थिति नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निष्पादन			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि
2000–01	381	3,452	619.48	14	165	311.85	–	–	–	395	3,617	931.33
2001–02	395	3,617	931.33	22	180	11.25	–	–	–	417	3,797	942.58
2002–03	417	3,797	942.58	50	263	21.82	–	–	–	467	4,060	964.40
2003–04	467	4,060	964.40	10	103	79.63	–	–	–	477	4,163	1,044.03
2004–05	477	4,163	1,044.03	35	274	116.67	–	–	–	512	4,437	1,160.70
2005–06	512	4,437	1,160.70	46	53	198.42	–	–	–	558	4,490	1,359.12
2006–07	558	4,490	1,359.12	25	172	41.63	314	2,256	831.42	269	2,406	569.33
2007–08	269	2,406	569.33	65	201	141.29	–	55	21.01	334	2,552	689.61
2008–09	334	2,552	689.61	43	218	155.98	02	102	57.79	375	2,668	787.80
2009–10	375	2,668	787.80	43	310	253.13	–	13	–	418	2,965	1,040.93

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के अत्यधिक संचयन को देखते हुए लंबित प्रारुप कंडिकाओं, समीक्षाओं, न्यायालय में लंबित मामलों तथा गबन से संबंधित मामलों, जिसमें लोक लेखा समिति/माननीय न्यायालयों का अंतिम निर्णय बाकी है, को छोड़कर वर्ष 1995–96 तक के निरीक्षण प्रतिवेदनों और कंडिकाओं के निष्पादन की जिम्मेदारी विभागों पर छोड़ दिया गया था (अगस्त 2006)।

1.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाए गए मुद्दों पर सरकार/विभाग द्वारा दिए गए आश्वासन

1.3.2.1 स्वीकृत मामलों में वसूली

विगत दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित कंडिकाएँ एवं विभाग द्वारा स्वीकृत मामले की स्थिति नीचे वर्णित है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं की सं0	कंडिकाओं में सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृत कंडिकाओं की सं0	स्वीकृत कंडिकाओं में सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	विभाग द्वारा प्रतिवेदित मामलों में की गई वसूली की स्थिति (₹ लाख में)
2000–01	2	238.23	2 (1 आंशिक)	15.83	0.06
2001–02	4	3.05	3	2.25	6.09
2002–03	4	12.33	4	12.33	149.43
2003–04	3	8.60	2	8.40	74.61
2004–05	2	29.60	2 (1 आंशिक)	23.29	325.70
2005–06	4	32.98	2 (1 आंशिक)	30.13	409.04
2006–07	6	30.44	4	27.70	279.29
2007–08	7	36.18	6	34.21	346.80
2008–09	1	57.68	1	57.68	0.36
2009–10	4	20.96	3	20.41	शून्य
कुल	**37**	**470.05**	**29 (3 आंशिक)**	**232.23**	**1,591.38 या ₹ 15.91 करोड़**

उपरोक्त सारणी दर्शाता है कि वर्ष 2000–01 से 2009–10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 37 कंडिकाओं में सन्निहित ₹ 470.05 करोड़ राशि में से सरकार/विभाग ने ₹ 232.23 करोड़ से सन्निहित 29 (3 आंशिक) कंडिकाओं को स्वीकार किया जिसके विरुद्ध मात्र ₹ 15.91 करोड़ (6.85 प्रतिशत) की वसूली की जा सकी।

सरकार/विभाग स्वीकार किये गये मामलों में सन्निहित सरकारी राजस्व की वसूली के लिए प्रभावकारी कदम उठा सकती है।

1.3.2.2 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार द्वारा किए गए प्रारुप निष्पादन समीक्षाओं को संबंधित विभागों/सरकार को उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ अग्रसारित किया जाता है। इन समीक्षाओं पर एक्जिट कन्फरेंस में भी विचार विमर्श किया जाता है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए समीक्षाओं को अंतिम रुप देने के समय विभागों/ सरकार के मंतव्यों को समाहित किया जाता है।

परिवहन विभाग की प्राप्तियों पर वर्ष 2004–05 एवं 2008–09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 13 अनुशंसाओं से समाहित तीन समीक्षायें शामिल थी। अनुशंसाओं की स्वीकृति से संबंधित सूचना और उनपर की गई कार्रवाई के संबंध में हमलोग उत्तर की प्रतीक्षा में हैं (अगस्त 2011) जैसा कि नीचे उल्लेखित है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	समीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या
2004–05	मोटर वाहन करों का आरोपण एवं संग्रहण	3
2004–05	सूचना प्राधौगिकी पर आधारित 'पथ परिवहन मैनेजमेंट सूचना प्रणाली (निक्ट्रान)'	3
2008–09	मोटर वाहन करों का आरोपण एवं संग्रहण	7

1.4 लेखापरीक्षा योजना

राजस्व की स्थिति, पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा अवलोकनों की प्रवृत्ति एवं अन्य मापदंडों के अनुसार विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम वाले ईकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। जोखिम के विश्लेषण, जिसमें सरकार के राजस्व और कर प्रशासन के विवेचनात्मक विषयों जैसे, बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेतपत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य एवं केन्द्र), कराधान सुधार समितियों की अनुशंसाओं, विगत पाँच वर्षों के राजस्व आय का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशेषताएँ, लेखापरीक्षा का क्षेत्र और विगत पाँच वर्षों के दौरान उसके प्रभाव आदि शामिल हैं, के आधार पर वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार किया जाता है।

वर्ष 2010–11 के दौरान सम्पूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र में 1,022 लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयाँ थी, जिसमें से हमने 296 ईकाइयों की योजना बनाई एवं 280 ईकाइयों की लेखापरीक्षा किया, जो कुल लेखापरीक्षित ईकाइयों का 27.40 प्रतिशत था। विस्तृत विवरणी **परिशिष्ट–II** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त वर्णित अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त हमने उन प्राप्तियों के कर प्रशासन की प्रभावकारिता की जाँच हेतु **'अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता'** तथा **'बिहार में परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण'** नामित दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ भी की, जिन्हे इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।

1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.5.1 वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2010–11 की अवधि में हमने वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहन, वन और अन्य विभागीय कार्यालयों के 280 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और 1,858 मामलों में सन्निहित ₹ 1,978.35 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का अवलोकन किया। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 232 मामलों में सन्निहित राशि ₹ 80.26 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें से वर्ष 2010–11 के लेखापरीक्षा के क्रम में 11 मामलों में सन्निहित राशि ₹ 1.29 करोड़ और शेष पूर्व के वर्षों से संबंधित थे। विभागों ने वर्ष 2010–11 के दौरान 111 मामलों में ₹ 63.10 लाख की वसूली की।

1.5.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज एवं अर्थदण्ड आदि का आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपित किए जाने से संबंधित ₹ 893.61 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 33 कंडिकाएँ (उपरोक्त संदर्भित वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा परिणामों जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में समाहित नहीं किए जा सके थे, से चयनित) और **'अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य मे घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता'** तथा **'बिहार में परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण'** पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ शामिल हैं। विभागों/सरकार ने ₹ 155.08 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 1.21 करोड़ की वसूली की गई। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2011)। इन कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं को अनुवर्ती अध्याय II से V में चर्चा की गई है।